महत्वपूर्ण

संख्या-16/2020/653/86-2020-3(सा0)/2020

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग। लखनऊ दिनांकः 19 मार्च, 2020

विषयः- अवैध खनन/परिवहन को रोकने हेतु कार्यबल का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र सं0-616/86-2018-371/2005 दिनांक 20.03.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कृपया कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रत्येक जनपद में अवैध खनन/परिवहन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कर उस पर अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय जनपद स्तरीय कार्यबल (टास्क फोर्स) का गठन किया गया है। शासन के संज्ञान में आया है कि जिला टास्क फोर्स द्वारा समेकित प्रयास कर अवैध खनन/परिवहन रोकने हेतु प्रवर्तन सम्बन्धी प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

2. अत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अवैध खनन व परिवहन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्रत्येक माह 02 औचक निरीक्षण के साथ-साथ नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य करते हुये प्रत्येक सप्ताह अवैध खनन/परिवहन की सघन चेकिंग की जाये। जनपद स्तर पर प्रत्येक माह जिलाधिकारी द्वारा कार्यबल के प्रवर्तन कार्य की समीक्षा कर कृत कार्यवाही तथा दण्ड स्वरूप वसूली गई धनराशि का विवरण नियमित रूप से यथा निर्देश निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ को प्रत्येक आगामी माह के प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में शिथिलता पाये जाने पर उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्याः653 (1)/86-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि जनपदों से कार्यबल द्वारा प्रेषित मासिक रिपोर्ट को संकलित कर उसके आधार पर एक समेकित रिपोर्ट संस्तुति सहित कृपया प्रतिमाह शासन को उपलब्ध करायी जाये।
5. समस्त जनपद के खान अधिकारी (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म)।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(आत्मा राम)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in